

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

सं०सं०-४/नि०स्वा०(विधि)-०४/१८ (खंड १)

आदेश

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना में पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि की निकासी हेतु श्री रंजीत कुमार, उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना के स्थान पर श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को बिहार कोषांग संहिता-२०११ के नियम-८४ के तहत विपत्र कोड-२३-२८५-१००१०४०००१ के अंतर्गत उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

{२}. पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे।

{३} यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू समझा जायेगा।

ह०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०सं०-४/नि०स्वा०(विधि)-०४/१८:...../

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०सं०-४/नि०स्वा०(विधि)-०४/१८:...../

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०सं०-४/नि०स्वा०(विधि)-०४/१८:...../

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- श्री रंजीत कुमार, उप उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, नवप्रोन्नत सहायक उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०सं०-४/नि०स्वा०(विधि)-०४/१८/1395

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- सरकार के अवर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ उद्योग निदेशक के निजी सहायक/अपर उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/संयुक्त उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक उद्योग विभाग/सभी उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

४३७